संख्या- 333 /2024 / 2590 /चार-2024-1834138

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 17 सितम्बर, 2024

विषय:- जनपद अयोध्या में भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश एवं महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या- 534/चतुर्थ-578 / 2023-24 दिनांक 23 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूर्यकुण्ड अयोध्या में भगवान सूर्य नारायण की 06 फिट खड़ी प्रतिमा, गणेश कुण्ड अयोध्या में भगवान गणेश की 10 फिट खड़ी प्रतिमा एवं महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या पर महर्षि वाल्मीकि की 06 फिट बैठी हुई प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्ताव के संबंध में संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-1436/सं0नि0-25(1)/2024-25 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मूर्तियों के निर्माण संबंधी उक्त प्रस्ताव निदेशालय में प्राप्त नहीं हैं और प्रस्तावित मूर्तियों की स्थापना किये जाने के संबंध में संबंधित जिलाधिकारी की 10 बिन्दुओं की आख्या भी अप्राप्त है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी के प्रस्तावानुसार सूर्यकुण्ड अयोध्या में भगवान सूर्य नारायण की 06 फिट खड़ी प्रतिमा, गणेश कुण्ड अयोध्या में भगवान गणेश की 10 फिट खड़ी प्रतिमा एवं महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या पर महर्षि वाल्मीकि की 06 फिट बैठी हुई प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु रू0 29.07 लाख (रूपये उनतीस लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मूर्ति निर्माण विषयक संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 138/चार-2001-6(20)/90 टी0सी0 दिनांक 24.12.2001 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा मूर्ति निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रस्तावित मूर्तियों के निर्माण हेतु मूर्ति निर्माण विषयक शासनादेश दिनांक 24.12.2001 के बिन्दु-2 में मूर्ति लागत के 25 प्रतिशत की देयता संबंधी अनिवार्यता से सम्यक् विचारोपरान्त शिथिलता प्रदान की जाती है।

(4) मूर्ति निर्माण के संबंध में संस्कृति विभाग द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा गठित मूर्ति निर्माण समिति के अनुमोदनोपरान्त ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ का होगा।

(7) मूर्ति का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) उपयोग की गयी धनराशि का गुणवत्ता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04- कला तथा संस्कृति- 106- संग्रहालय- 09- महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण- 24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 333 /2024 / 2590 (1) /चार-2024-1834138 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, अयोध्या।
3- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in